न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास जिला भरतपुर

स0 145/14

1–रामस्वरूप ।पुत्रान किशनलाल जाति गूर्जर निवासी घाटौली तहसील रूपवस
2–भगवतप्रसाद। जिला भरतपुर

वादीगण

बनाम

1–रमनलाल ।
2–लक्ष्मन ।पुत्रान गोपाल जाति गूर्जर निवासी घाटौली तहसील रूपवास
3–रामफल ।जिला भरतपुर

असल प्रतिवादीगण

4–मुरारी ।
5–विशम्भर ।पुत्रान धर्मसिह जाति गूर्जर निवासी घाटौली तहसील रूपवास
6–राधेश्याम । जिला भरतपुर
7–लच्छौ पत्नि फौदी
8–पिन्टू आयु 7साल ।
9–सनी आयु 3 साल ।पुत्रान व पुत्री फौदी जाति गूर्जर निवासी घाटौली नाबालिगान
10– वर्षा बायु 10साल। जरिये प्राकृतिक बली माता श्रीमती लच्छो पत्नि फौदी जाति गूर्जर निवासी घाटौली तहसील रूपवास

तरतीवी प्रतिवादीगण

पीठासीन अधिकारी :– श्री पी.आर0मीना0 आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी रूपवास

उपस्थित
1–श्री शकंर दयाल शर्मा अभिभाषक वादीगण
2– श्री हरवीर डागुर अभिभाषक प्रतिवादी 1से3

निर्णय दिनांक 14/2/18

सक्षेपतः दावे के तथ्य निम्न प्रकार है। वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा,188 के तहत वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी खसरा न03180/2088 रकवा 5–00 बीघा बाके ग्राम खानसूरजापुर तहसील रूपवास में स्थित है। उक्त विवादित आराजी वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को उनके पूर्वजों से प्राप्त हुई है। तभी से वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण विवादित आराजी को वहैसीयत खातेदार मौके पर काश्त करते चले आ रहे है। तथा इस समय मौक पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगणो का ही कब्जा काश्त है। उक्त विवादित आराजी तरफ उत्तर की तरफ सड़क रूपवास धौलपु से लगी हुई है। वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण उक्त आराजी जो सड़क से लगी हुई को जौतते बोते चले आ रहे है। विवादित आराजी की तरफ दक्षिण की ओर सड़क आराजी खसरा न0 2089 में होकर गुजरती है। तथा सड़क को भूमि अवाप्ति के वाद सड़क तरफ उत्तर की ओर खसरा न0 2089 का कोई रकवा सड़क व विवादित आराजी के मध्य काबिज काश्त शेष नही रहा है । परन्तु प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

असल पीडब्लूडी की जमीन पर अतिक्रमण कर वादीगण के रास्ते को अवरूद्व करना चाहते है जिसका कि उनको कोइ अधिकार प्राप्त नही है। प्रतिवादीगण असल वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण से आये दिन झगड़ा करते रहते है। और बेदखल करने पर तुले हुये है। दिनांक 14–7–2014 को असल प्रतिवादीगण मौके पर आ गये तथा विवादित आराजी से वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को बेदखल करने लगे लेकिन वादीगण के विरोध के कारण बेदखल नही कर सके लेकिन जाते यह धमकी देगये कि हम शीघ्र ही बेखल कर देगें । यदि प्रतिवादीगण असल अपने उपरोक्त उददेश्य में सफल हो गये तो वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई पैसो से नही की जा सकती है। अतः प्रतिवादीगण असल को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराया जाना आवश्यक हो गया है। दिनांक 14.7.2017 को दिये जाने धमकी के कारण वादकरण पैदा हुआ ।

दावा वारदीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :– प्रतिवादीगण असल को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पावन्द फरमाया जावे कि वह विवादित आराजी खसरा न0 3180/2088 रकवा 5 बीघा बाके ग्राम खानसूरजापुर तहसील रूपवास के कब्जे काश्त वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को आराजी को शान्तीपूर्वक काश्त करने देवें । प्रतिवादीगण असल कोई ऐसा कार्य नही करे जिससे वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा होती हो । तथा प्रतिवादीगण असल विवादित आराजी के तरफ दक्षिण स्थित पीडब्लूडी की जमीन पर अतिक्रमण कर विवादित आराजी के वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के रास्ते को अवरूद्व नहीं करे ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । असल प्रतिवादीगण की ओर से श्री हरवीर डागुर वकील द्वारा वकालतनामा पेश किया जो सामिल पत्रावली है । तरतीवी प्रतिवादीस0 5,6,7,8,9,10 इतला के बाबजदू उपस्थित तः इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रतिवादीअसल वकील द्वारा जबाब पेश नही किया गया अतः असल प्रतिवादीगण का जबाब बन्द किया जाता है। एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । पादीगण की ओर से साक्ष्य हेतु पीडब्लू 1 पीडब्लू 2 पेश किये जो सामिल पत्रावली है ।

एक पक्षीय अभिभाषक की बहस सुनी गई ।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया व एक पक्षीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया । वादीगण उक्त विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एव काबिज आराजी है। वादीगण का दावा आशिक स्वीकर किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि वादीगण का दावा इस आशय से आशिक डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण असल वादीगण की खातेदारी में हस्तक्षेप नही करें । पर्चा डिक्री कायम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/2/19

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास